११.०२.२०१७–(लोक अदालत)

आज पत्रावली लोक अदालत मे प्रस्तुत हुयी।

विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या ४४७ सन २०१४ थाना खागा मे विवेचना के उपरान्त अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी। अन्तिम आख्या के सम्बन्ध मे वादी को नोटिस जारी की गयी। आदेशपत्र मे अंकित किया है कि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। अतः एफ०आर० स्वीकृत करने मे उन्हें कोई आपत्ति नही है।

विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त अनुरोध पत्र को संस्तुति सहित प्रस्तुत किया गया है। इसप्रकार अन्तिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

अन्तिम आख्या संख्या–१/१७ स्वीकार की जाती है।

दिनांकः ११.०२.२०१७ (नित्यानंद श्रीनेत)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)

फतेहपुर।

आज पत्रावली लोक अदालत मे प्रस्तुत हुयी।

उभयपक्ष की तरफ से संधिपत्र प्रस्तुत किया गया।

संधिपत्र पर याचिनी फात्मा खातून, कुरैशा खातन व शहरयार के हस्ताक्षर व निशान अंगूठा अंकित है। याचिनी सख्या २ काजमा खातून ढाई माह की तरफ से उसकी माता फात्मा खातून खातून द्वारा संधिपत्र दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है। अवयस्क की तरफ से उनकी माता श्रीमती फात्मा खातून ने हस्ताक्षर किए है। याचीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री जयसिंह पटेल द्वारा की गयी। बीमा कम्पनी की तरफ से श्री वी०के० त्रिपाठी एडवोकेट एवं श्री पी०के० बोस द्वारा संधिपत्र स्वीकार किया गया। उभयपक्ष के मध्य रू० ४,००,०००/– के सम्बन्ध मे संधिपत्र प्रस्तुत किया गया है। संधिपत्र उभयपक्ष द्वारा बिना किसी भय व दबाव के स्वीकार किया जाना कहा गया है। संधिपत्र न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया अतः याचिका संधिपत्र मे उल्लिखत शर्तों के अनुरूप अधिनिर्णीत की जाती है।

विपक्षी संख्या २ दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी एक माह के अन्दर क्षतिपूर्ति की धनराशि मु० ४,००,०००/– (रू० चार लाख) न्यायाधिकरण मे जमा करे। उक्त धनराशि मे से पचास–पचास हजार रूपए की धनराश याची संख्या ३ शहरयार व याचिनी संख्या ४ श्रीमती कुरैशा खातून को देय होगी, जिसमे से प्रत्येक को दस–दस हजार रूपए की धनराशि का एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से नकद भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक के नाम से चालीस– चालीस हजार रूपए की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की साविध जमा योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष की अविध के लिए निवेशित की जायेगी।

शेष धनराशि रूपये तीन लाख मे से २ लाख रूपए श्रीमती फात्मा खातून मृतक की पत्नी को देय होगी, जिसमे से रू० एक लाख सत्तर हजार उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की साविध जमा योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष की अविध के लिए निवेशित किए जायेगे तथा शेष रू० तीस हजार उसे तत्काल व्यय के मद मे एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से नकद भुगतान किया जायेगा। इसी तरह याचिनी संख्या २ काजमा खातून को देय समस्त धनराशि रू० एक लाख उसकी व्यस्कता की अवधि १८ वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की साविध जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित किए जायेगे, जिसे वह परिपक्वता के उपरान्त प्राप्त कर सकेगी।

दिनांकः ०८–०८–२०१४ (विनय
कुमार मिश्रा)

मोटर दुर्घटना

अभ्यर्थना न्यायाधिकरण/

अपर जिला जज,

न्यायालय सं० ६,

फतेहपुर।